

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/87/2019

दिनांक: 24 सितम्बर, 2019

प्रेस नोट

विषय: महाराष्ट्र के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु उप-निर्वाचन के लिए अनुसूची-तत्संबंधी।

महाराष्ट्र के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक रिक्ति है जिसे भरा जाना अपेक्षित है:

क्रम सं.	राज्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	महाराष्ट्र	45-सतारा

विभिन्न कारकों यथा त्योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार इस रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:

मतदान कार्यक्रम	तारीख
राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तारीख	27.09.2019 (सोमवार)
नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख	04.10.2019 (शुक्रवार)
नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	05.10.2019 (शनिवार)
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	07.10.2019 (सोमवार)
मतदान की तारीख	21.10.2019 (सोमवार)
मतगणना की तारीख	24.10.2019 (गुरुवार)
वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	27.10.2019 (रविवार)

निर्वाचक नामावली

अर्हक तारीख 01.01.2019 के संदर्भ में पूर्वोक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।

2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी

आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं और यह

सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित हो जाएं।

3. मतदाताओं की पहचान

विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए, यदि उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दर्ज है, तो उक्त निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

4. आदर्श आचार संहिता

आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु/2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के यथा-निर्गत आंशिक संशोधन की शर्त के अन्वये आदर्श आचार संहिता उस जिले/उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें निर्वाचन होने वाले संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता राज्य के संबंधित जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।

हरियाणा एवं महाराष्ट्र की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए जारी किए गए सभी अनुदेश पूर्वोक्त उप-निर्वाचन के लिए भी लागू होंगे।

ह./-

(सुमित मुखर्जी)
प्रधान सचिव